पंत्रांक:-10/न -34/2016..... शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

आर० पी० एस० 'रंजन' निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्षा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बार्ड शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक आर0 एम0 पब्लिक स्कूल, राफापुर, विशम्भरपुर, गोपालगंज को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय.

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है आर० एम० पब्लिक स्कूल, सफापुर, विशम्भरपुर, गोपालगंज को अनापति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सिवय/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ-पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तद्नुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई:--

 यह विद्यालय सजावल शिक्षा संस्थान के अधीन संवातित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रमुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निर्वाधित सोसाइटी / न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 2.2 एकड़ (3 बीघा) भूमि 99 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में कुल 16 शिक्षक है। सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप स प्रदाय जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या—238. दिनांक—04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्ते स्वीकार हैं। अपेक्षित शर्तों के अनुसार:—

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुक्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुक्क नहीं लिखा जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड

R M Public School Bishambharpur, Gopalganj BOLDET C BUILDING FOR PUBLIC ROAD OUR TAND THAR REAL SAOT

तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000 / -(दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

- (ii) विद्यालय में नर्सरी / कें0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा / साक्षात्कार (बच्चों एवं माता / पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित् क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया
- (iii) नर्सरी / केंंंंoजीo तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलामीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतुं अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि
- यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शत्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी० बी० एसा० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।
- 9. साथ ही सी0 बी0 एस0 ई0, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्थ एवं अपेक्षित शत्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोरपेक्ट्स एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की रिधित में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
- विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक / छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।
- विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आर० एम० पब्लिक स्कूल, सफापुर, विशम्भरपुर, गोगालगंज को सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी० बी० एस० ई० अपने रतर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

80/-(आर० पी० एस० 'रंजन')

ज्ञापांक -10/न-34/2016 .....

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतिलिपि: - जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

Bo/-

ज्ञापांक :-10/न-34/2016...<u>Y D</u> निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतिलिपि:-प्राचार्य, आर० एम० पब्लिक स्कूल, सफापुर, विशम्भरपुर, गोपालगंज को सूचनार्थ, एवं पटना, दिनांक 15/1/18 आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Principal R M Public School Bishambharpur, Gopalganj

E/D/N/NOC APPROVAL LETTER 23